# प्रेस नोट दिनांक 23.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

जानलेवा हमला एवं फायरिंग के अभियोग में 02 अभियुक्त जावेद अख्तर व हुशाम खान गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा जानलेवा हमला एवं फायरिंग के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों जावेद अख्तर एवं हुशाम खान को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 22.11.2026 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोठियार निवासी वादी द्वारा तहरीर दी गई कि ग्राम कोठियार में सड़क निर्माण कार्य को मानक विहीन बताते हुए विरोध करने पर जावेद अख्तर द्वारा मोबाइल फोन से उन्हें मौके पर बुलाया गया तथा निर्माण कार्य में हस्तक्षेप न करने की धमकी दी गई। वादी द्वारा निर्माण कार्य को सरकार की मंशा के विपरीत एवं मानक विहीन बताए जाने पर अभियुक्त जावेद अख्तर एवं उसके दो अज्ञात साथियों द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से रिवाल्वर/पिस्टल से फायर किया गया। इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई तथा वादी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इसके पश्चात अभियुक्तगण असलहा लहराते हुए काले रंग की थार गाड़ी से जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 482/2026 धारा 109(2), 351(3), 352 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल पाण्डेय मय हमराह का0 सोनू कुमार द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण 1. जावेद अख्तर पुत्र अब्दुल जब्बार उम्र करीब 45 वर्ष एवं 2. हुशाम खान पुत्र अब्दुल जब्बार उम्र करीब 36 वर्ष, निवासीगण 143 सदर बाजार, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त हुशाम खान की भूमिका प्रकाश में आने पर अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. जावेद अख्तर पुत्र अब्दुल जब्बार उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी 143 सदर बाजार, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
2. हुशाम खान पुत्र अब्दुल जब्बार उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी 143 सदर बाजार, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राहुल पाण्डेय मय हमराह का0 सोनू कुमार, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

निर्माणाधीन कम्पोजिट विद्यालय से सरिया चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की 60 अदद सरिया एवं घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा निर्माणाधीन कम्पोजिट विद्यालय से सरिया चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 60 अदद सरिया एवं घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 23.11.2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे लाल में निर्माणाधीन कम्पोजिट विद्यालय से सुबह अभियुक्तगण द्वारा सरिया चोरी कर पिकअप वाहन में लादकर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी सूचना पड़ोसियों द्वारा निर्माण कार्य करा रहे वादी निवासी भुवालपुर किला, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ को दी गई। सूचना पर वादी अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे तो अभियुक्तगण पिकअप वाहन में सरिया लादकर वहां से निकल चुके थे। वादी एवं उनके सहयोगियों द्वारा पीछा कर कुछ दूरी पर पिकअप वाहन सहित तीनों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया तथा चोरी की सरिया सहित उन्हें पुलिस चौकी बेलखरी लाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 326/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस के अंतर्गत 03 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उ0नि0 पुष्पराज सिंह मय हमराह का0 विश्वदीप यादव ने वादी एवं उनके सहयोगियों द्वारा पकड़कर लाए गए अभियुक्तगण 1. विकास पाल, 2. सुनील कुमार पाल एवं 3. संजय चौहान को चोरी की सरिया एवं घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन सहित पुलिस अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23.11.2026 को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण की निशानदेही/कब्जे से चोरी की 02 बंडल में कुल 60 अदद सरिया (RUNGTA STEEL 550D मार्का), जिसमें एक बंडल में 37 एवं दूसरे बंडल में 23 सरिया तथा घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्या UP35CT8384 बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विकास पाल पुत्र स्व0 बलराम पाल उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी बहेरा उत्तर, थाना कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर।
2. सुनील कुमार पुत्र रामअचल पाल उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी जैतापुर, थाना धम्मौर, जनपद सुल्तानपुर।
3. संजय चौहान पुत्र रामकेवल उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी मड़रिका, थाना मुंशीगंज, जनपद अमेठी।

बरामदगी का विवरण-
* चोरी की कुल 60 अदद सरिया (RUNGTA STEEL 550D मार्का), 02 बंडल में।
* घटना में प्रयुक्त एक अदद पिकअप वाहन संख्या UP35CT8384।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-
1- विकास पाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 326/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

2- सुनील कुमार पाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 326/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 50/2024 धारा 323, 504, 506 भादवि, थाना धम्मौर, जनपद सुल्तानपुर।

3- संजय चौहान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 326/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 पुष्पराज सिंह मय हमराह का0 विश्वदीप यादव, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

नाबालिग बालिका के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी देने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 22.11.2026 को थाना लीलापुर पर वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त रामराज दुबे उर्फ लल्ले दुबे पुत्र राधेश्याम दुबे निवासी ग्राम कोठार मंगोलपुर, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ घर में घुसकर बदनीयती से छेड़छाड़ की गई। विरोध करने एवं हल्ला-गुहार मचाने पर अभियुक्त द्वारा बालिका के कपड़े फाड़ दिए गए तथा वादिनी की पुत्री एवं उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना लीलापुर पर अ न्तर्गत धारा 74/76/351(3)/333 बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लीलापुर के म0उ0नि0 ज्योति सिंह मय हमराह का0 राजकिशोर यादव एवं हे0का0 राजकुमार सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त रामराज दुबे उर्फ लल्ले दुबे पुत्र राधेश्याम दुबे उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम कोठार मंगोलपुर, पोस्ट सगरा सुन्दरपुर, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 22.11.2026 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. रामराज दुबे उर्फ लल्ले दुबे पुत्र राधेश्याम दुबे उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी ग्राम कोठार मंगोलपुर, पोस्ट सगरा सुन्दरपुर, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
म0उ0नि0 ज्योति सिंह मय हमराह का0 राजकिशोर यादव एवं हे0का0 राजकुमार सिंह, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।